सत्यमेव जयते

बिहार सरकार

वित्त विभाग

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट

2014-15

जुलाई, 2014

प्राक्कथन

राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है, राज्य सरकार उनके कल्याण और विकास के लिए वचनबद्ध है । यह विवरण बजट प्रावधान की उन योजनाओं का संकलन है जो मुख्यतः बच्चों के कल्याण के लिए हैं । ये शैक्षिक परिव्ययों, बालिकाओं के लिए विशिष्ट योजनाओं, स्वास्थ्य, तथा बाल सुरक्षा आदि के लिए प्रावधानों को इंगित करते हैं ।

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट से संबंधित विवरणी की शुरूआत वर्ष 2013-14 में की गयी थी । वित्तीय वर्ष 2014-15 में निम्नलिखित विभागों द्वारा बाल कल्याण योजनाओं पर व्यय किए जाने हेतु बजट प्रावधान का उल्लेख किया जा रहा हैः-

1. कला संस्कृति एवं युवा विभाग ।
2. पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ।
3. शिक्षा विभाग ।
4. समाज कल्याण विभाग ।
5. श्रम संसाधन विभाग ।
6. अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग ।
7. स्वास्थ्य विभाग ।
8. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ।

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान- विभागवार विवरणी

(राशि लाख रूपए में)

क्रम सं०	विभाग का नाम	बजट 2013-14	संशोधित अनुमान 2013-14	बजट 2014-15
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	कला संस्कृति एवं युवा विभाग	344.00	344.00	344.00
2	पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	59890.87	122790.87	110805.84
3	शिक्षा विभाग	444856.81	556790.82	1079711.59
4	समाज कल्याण विभाग	134382.20	203117.22	168292.91
5	श्रम संसाधन विभाग	103.10	94.55	189.15
6	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	55617.09	55617.09	60964.77
7	स्वास्थ्य विभाग	798.27	798.27	800.00
8	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	8800.00	7613.35	1100.00
	कुल योग-	**704792.34**	**947166.17**	**1422208.26**

नोट :- 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं में विभागवार उपशीर्षवार प्रावधानित राशि संबंधित उपशीर्ष के कुल प्रावधानित राशि से कम भी हो सकती है ।

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान- विभागवार विवरणी
विभाग - कला संस्कृति एवं युवा विभाग

(राशि लाख रूपए में)

क्रम सं०	विपत्र कोड	परियोजना	बजट 2013-14	संशोधित अनुमान 2013-14	बजट 2014-15	योजनावार व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (योजना की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	N 2204001040001	विद्यालय खेलकूद	144.00	144.00	144.00	गैर योजना	**वर्ष 2013-14 की उपलब्धि** विद्यालय खेल में वालीबॉल (बालक/ बालिकाओं) का प्रशिक्षण शिविर दिनांक 19 जनवरी से 02 फरवरी, 2014 तक आयोजित किया गया । तदोपरांत राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता 5-9 फरवरी, 2014 तक बीजापुर (कर्नाटक) में राज्य दल की प्रतिभागिता हुई । राष्ट्रीय विद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता (29-2 फरवरी, 2014) कानपुर में राज्य कुश्ती दल की (बालक) प्रतिभागिता करायी गई । वित्तीय वर्ष 2013-14 में बिहार राज्य को विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में कुल 16 पदक (स्वर्ण- 2, रजत- 5 एवं कांस्य- 9 प्राप्त हुए) । **वर्ष 2014-15 का लक्ष्य** 17 वर्ष एवं 14 वर्ष से कम उम्र के क्रमशः बालक एवं बालिकाओं के लिए विद्यालय खेल का आयोजन कराया जाता है जिसमें राज्य स्तर पर चयनित खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सरकारी खर्च पर प्रतिभागिता करायी जाती है ।

2	P 2204001040101 P 2204007890101	मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत खेल प्रतियोगिता	168.00 32.00	168.00 32.00	200.00 0.00	राज्य योजना राज्य योजना	मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं हेतु 10 (दस) एकलव्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया गया । इन केन्द्रों में आधुनिक खेल प्रशिक्षण के माध्यम से राज्य/ राष्ट्रीय/ अंतराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करने का लक्ष्य है ।
		योग-	**344.00**	**344.00**	**344.00**		

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान- विभागवार विवरणी

विभाग - पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

(राशि लाख रूपए में)

क्रम सं०	विपत्र कोड	परियोजना	बजट 2013-14	संशोधित अनुमान 2013-14	बजट 2014-15	योजनावार व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (योजना की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	P 2225031970101	उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (ब्लॉक पंचायत)	12250.00	12250.00	12500.00	राज्य योजना	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को वर्ग 1 से 10 तक छात्रवृत्ति दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में 10,42,000 छात्र/ छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।
2	P 2225032770101	उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति	4811.53	4811.53	5778.00	राज्य योजना	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को वर्ग 1 से 10 तक छात्रवृत्ति दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में 50,000 छात्र/ छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।
3	P 2225032770101	प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (ग्राम पंचायत)	26360.00	26360.00	27500.00	राज्य योजना	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को वर्ग 1 से 10 तक छात्रवृत्ति दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में 22,92,000 छात्र/ छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।
4	P 2225032770101	प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति	11250.00	73402.00	57292.00	राज्य योजना	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को वर्ग 1 से 10 तक छात्रवृत्ति दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में 47,75,000 छात्र/ छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

5	P 4225032770101	जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यन्त पिछड़ा वर्ग छात्रावास	187.00	935.00	500.00	राज्य योजना	उच्च विद्यालय एवं ऊपर की कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/ छात्राओं के लिए यह योजना संचालित है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग के छात्र/ छात्राओं के लिए 100 आसन वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावासों के निर्माण के पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुसार 5 छात्रावासों के निर्माण पर व्यय होने की संभावना है।
6	P 2225032770101	मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना	3500.00	3500.00	4000.00	राज्य योजना	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को प्रथम श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्ण होने पर 10000/- रूपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में 40,000 छात्र/ छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।
7	P 2225032770101	प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	390.00	390.00	1200.00	राज्य योजना	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को वर्ग 1 से 10 तक छात्रवृत्ति दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में 1,00,000 छात्र/ छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।
8	C 2225032770602 New sub head P 2225032770212	प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	390.00	390.00	1200.00	केन्द्रीय प्रायोजित योजना	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को वर्ग 1 से 10 तक छात्रवृत्ति दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में 1,00,000 छात्र/ छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।
9	N 2225032770010	12 कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों का संधारण	637.24	637.24	725.83	गैर योजना	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग के छात्राओं के लिए 12 आवासीय कन्या उच्च विद्यालय संचालित हैं जिसमें वर्ग 6 से 12 की कक्षाएं संचालित की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रति आवासीय विद्यालय में प्रतिवर्ष 280 छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी ।

10	N 2225032770002	छात्रावासों का संधारण	115.10	115.10	110.01	गैर योजना	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपि़छड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास संचालित है । वित्तीय वर्ष 2014-15 में गैर योजना अंतर्गत राज्य में संचालित 6 अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावासों के संधारण एवं इसमें सृजित स्थायी पदों के वेतन एव भत्ते मद में राशि व्यय होगी ।
		योग-	**59890.87**	**122790.87**	**110805.84**		

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान- विभागवार विवरणी
विभाग - शिक्षा विभाग

(राशि लाख रूपए में)

क्रम सं०	विपत्र कोड	परियोजना	बजट 2013-14	संशोधित अनुमान 2013-14	बजट 2014-15	योजनावार व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (योजना की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	P 2202011120101 P 2202017890104 P 2202011120101	मध्याह्न भोजन	40000.00	40000.01	168229.00	राज्य योजना	वर्ग 1 से 8 तक में पढ़ने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं को पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाता है ।
2	P 2202011010111 P 2202017890101	औजार	100.00	100.00	50.00	राज्य योजना	वर्ग 6 से 8 तक के छात्राओं को हुनर की आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण छात्राओं में प्रति छात्रा 2500/- रूपये की दर से कीट उपलब्ध कराया जाता है ।
3	P 2202011110101 P 2202011110201 P 2202011110301 P 2202017890103	सर्वशिक्षा अभियान	297274.00	297274.00	678744.59	राज्य योजना	नए विद्यालय भवनों का निर्माण, अतिरिक्त वर्ग कक्ष एवं शौचालय, शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करायी जाती है ।
4	P 2202011090101	मुख्यमंत्री पोशाक योजना	10082.80	37582.80	21400.00	राज्य योजना	प्राथमिक विद्यालयों के वर्ग 3 से 5 में नामांकित प्रत्येक छात्र/ छात्राओं को 2 जोड़ा स्कूल पोशाक एवं एक जोड़ी जूते खरीदने के लिए 500/- रूपए नकद उपलब्ध कराया जाता है ।
5	P 2202011090102	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	10000.00	22500.00	15400.00	राज्य योजना	प्राथमिक विद्यालय के वर्ग 6 से 8 में नामांकित सभी छात्राओं को 2 जोड़ी स्कूल पोशाक एवं एक जोड़ी जूते के क्रय हेतु 700/- रूपए नकद उपलब्ध कराया जाता है।
6	P 2202011090103	मध्य विद्यालय के छात्रों का परिभ्रमण	1000.00	2800.00	2873.00	राज्य योजना	छात्र-छात्राओं को अपने राज्य के ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं अन्य महत्वपूर्ण जगहों की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रत्येक प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय को प्रतिवर्ष 10000/- रूपए शैक्षणिक परिभ्रमण हेतु उपलब्ध कराया जाता है।
7	P 2202021070105 P 2202027890101	मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना	20600.00	20600.00	17000.00	राज्य योजना	9 वीं वर्ग में विद्यालयों में नामांकित छात्रों को 2500/- रूपए प्रति छात्र की दर से साईकिल क्रय करने हेतु राशि उपलब्ध करायी जाती है।

8	P 2202021070106 P 2202027890102	मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना	18000.00	18000.00	16500.00	राज्य योजना	9 वीं वर्ग में विद्यालयों में नामांकित छात्राओं को 2500/- रूपए प्रति छात्रा की दर से साईकिल क्रय करने हेतु राशि उपलब्ध करायी जाती है।
9	P 2202021070107 P 2202031070104	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	10000.00	17326.00	15000.00	राज्य योजना	वर्ग 9 से 12 में नामांकित प्रत्येक छात्रा को 2 जोड़ी स्कूल पोशाक एवं 1 जोड़ी जूते के क्रय हेतु 1000/- रूपए नकद उपलब्ध कराया जाता है।
10	P 2202021070108	मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना	6000.00	25524.00	25000.00	राज्य योजना	10 वीं वर्ग की बोर्ड परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण प्रत्येक छात्रा को 10000/- रूपए प्रोत्साहन राशि के रूप में उपलब्ध कराया जाता ळें
11	P 2202021090107 P 2202021090207 P 2202021090307	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	10500.00	10500.00	18365.00	राज्य योजना	नया माध्यमिक विद्यालय खोलना, भवन, वर्ग कक्ष एवं शौचालय का निर्माण तथा शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा बच्चों को माध्यमिक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना सम्मिलित है।
12	P 4202012020103	बालिका छात्रावास/ मॉडल स्कूल	17300.01	60584.01	56150.00	राज्य योजना	आर्थिक रूप से पिछड़े प्रत्येक प्रखंड में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु बालिका छात्रावास का निर्माण एवं प्रत्येक प्रखंड में केन्द्रीय विद्यालय के तर्ज पर मॉडल स्कूल विकसित किया जा रहा है ।
13	P 4202012020108	प्राथमिक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय का भवन निर्माण	3000.00	3000.00	45000.00	राज्य योजना	प्राथमिक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के लिए भवन एवं चारदीवारी का निर्माण किया जाता है।
14	C 2202021090605	आई०सी०टी० परियोजना	1000.00	1000.00	0.00	केन्द्रीय प्रायोजित योजना	कक्षा 9 से 12 तक के छात्र/ छात्राओं को कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध करायी जाती है ।

15	P 2202010010107	बिहार बाल भवन ''किलकारी'' को अनुदान	460.00	460.00	250.00	राज्य योजना	किलकारी द्वारा 9 से 16 आयु वर्ग तक बच्चों की सृजनशीलता को उभारने हेतु स्वस्थ तनावरहित एवं आनन्दमयी वातावरण में उनकी अभिरूचि के अनुसार मंगलवार से शनिवार प्रातः 10 से शाम 5 बजे तक प्रशिक्षण दिया जाता है जिसकी संक्षिप्त विवरणी निम्न हैः- **1. नियमित प्रशिक्षण-** शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गायन, चित्रकला, क्राफ्ट, मूर्तिकला, कराटे, बैडमिंडन, बॉल बैडमिंटन, शतरंज, विज्ञान, लेखन, नाटक आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है । **2. प्रकाशन-** किलकारी के बच्चों द्वारा हर माह बाल किलकारी नामक मासिक अखबार बच्चों से संबंधित किताबें ब्रोशर, मॉड्यूल इत्यादि सामग्री की प्रकाशन की योजना । **3. गुल्लक (बच्चा बैंक)-** बच्चों द्वारा बचत की जाने वाली राशि की जमा योजना । **4. फोटोग्राफी-** बच्चों में देखने-समझने के नजरियो को विकसित करने की योजना । वर्तमान में बच्चे बिहार की गुफाओं का शैक्षणिक भ्रमण कर फोटोग्राफी कर रहे हैं । इसके उपरांत पुस्तक निर्माण की योजना है । **5. चलंत पुस्तकालय-** बाल भवन की गतिविधियों से सरकारी विद्यालयों एवं स्लम के बच्चों को जोड़ने की योजना । **6. पुस्तकालय (मस्ती की पाठशाला)-** बच्चों के बौद्धिक एवं शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने के लिए पुस्तकालय का संचालन किया जा रहा है । **7. किलकारी की शाखाएं-** प्रमंडल स्तर पर 2 बाल भवनों गया तथा भागलपुर की स्थापना, जिससे बिहार के अन्य बच्चों को भी इस योजना का लाभ मिल सके । **8. किलकारी के वार्षिक आयोजन-** बाल दिवस, राष्ट्रीय बाल रंग महोत्सव, समर कैंप, बालश्री, राष्ट्रीय बाल लोक नृत्य महोत्सव आदि की योजना । **9. किलकारी की अन्य परियोजनाएं-** (क) टाटा दोराबजी के फंड से पटना के 10 सरकारी विद्यालयों में तथा अन्य जिलों कैमूर, सहरसा, गया, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, धरहरा (भागलपुर) में तीन-तीन घंटे बाल केन्द्र का संचालन । (ख) युनिसेफ एवं समाज कल्याण विभाग के सहयोग से पटना में 2 केन्द्र निशांत गृह एवं अपनाघर चलाया जा रहा है । (ग) युनिसेफ के सहयोग से वैशाली जिले में बाल संसद परियोजना का संचालन । '' वित्तीय वर्ष 2013-14 में बिहार बाल भवन, किलकारी, पटना में 2800, प्रमंडल स्तर बाल भवन में 2203, बाल केन्द्र परियोजना में 967, यूनीसेफ एवं समाज कल्याण में 558 बच्चे लाभान्वित हुए । ' वित्तीय वर्ष 2014-15 में बिहार बाल भवन, किलकारी, पटना में 2500 बच्चों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है ।
		योग-	**444856.81**	**556790.82**	**1079711.59**		

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान- विभागवार विवरणी
विभाग - समाज कल्याण विभाग

(राशि लाख रूपए में)

क्रम सं०	विपत्र कोड	परियोजना	बजट 2013-14	संशोधित अनुमान 2013-14	बजट 2014-15	योजनावार व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (योजना की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	P 2235021020115 P 2235021020323 (नया शीर्ष)	समेकित बाल संरक्षण योजना	1350.00	1110.00	1000.00	राज्य योजना	बच्चों के व्यापक विकास हेतु सुरक्षित परिवेश के निर्माण करने के उद्देश्य से योजना प्रारंभ की गयी है । इस योजना के महत्वपूर्ण घटकों में राज्य एवं जिला बाल संरक्षण समिति, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी, शहरी एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में बच्चों के लिए खुला आश्रय, दत्तक ग्रहण समन्वय संस्था, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए इकाई, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय परिषद आदि हैं ।
2	C 2235021020615 P 2235021020223 (नया शीर्ष)	समेकित बाल संरक्षण योजना	3000.00	3000.00	3000.00	केन्द्रीय प्रायोजित योजना	
3	P 2235021060107	बाल न्यायालय एवं बाल कल्याण बोर्ड	180.00	180.00	180.00	राज्य योजना	बाल अधिकार विशेषतया पारिवारिक संरक्षण से वंचित यथा निराश्रित, उपेक्षित, अनैतिक पणन के शिकार, शोषण के शिकार बालकों के अधिकारों के संरक्षण एवं उनके हनन के मामलों में त्वरित कार्रवाई हेतु बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है ।

4	P 2235021060106	बाल दोषी, अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के लिए विशेष योजना	610.00	250.00	950.00	राज्य योजना	राज्य योजना अंतर्गत किशोर न्याय (बालकों के देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 यथा संशोधित 2006 की धारा 62-ए के प्रावधानानुसार गठित राज्य स्तरीय बाल संरक्षण इकाई एवं जिला बाल संरक्षण इकाई का गठन किया गया है ।
5	P 2235021030111 P 2235027890109	मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना	6000.00	2000.00	1200.00	राज्य योजना	राज्य में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, कन्या के जन्म को प्रोत्साहित करने, लिंग अनुपात में वृद्धि लाने एवं बच्चों के जन्म निबंधन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य भर में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे परिवारों में कन्या के जन्म पर 2000/- रूपए की राशि प्रति कन्या एकमुश्त अनुदान देने का प्रावधान है ।
6	P 2235021020116	परवरिश	1000.00	750.00	240.00	राज्य योजना	इस योजना का उद्देश्य 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण के गैर सांस्थानिक कार्यक्रम के अंतर्गत अनाथ एवं बेसहारा बच्चों, जिनके माता-पिता /पालन-पोषण कर्ता की वार्षिक आय 60,000/- रूपये से कम हो अथवा बी०पी०एल० श्रेणी में हो, उन्हें प्रतिमाह 900/- (0 से 6 वर्ष) तथा रूपये 1000/- (एक हजार) रूपये प्रदान किए जाने का प्रावधान है ।

<table>
<tr><td>7</td><td>N 2235021060001</td><td>प्रतिप्रेक्षण गृह</td><td>382.75</td><td>367.77</td><td>595.27</td><td>गैर योजना</td><td>किशोर न्याय के अंतर्गत राज्य में एक विशेष गृह पटना में तथा 10 पर्यवेक्षण गृह यथाः दरभंगा, छपरा, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, आरा, पूर्णियाँ, बेतिया, पटना एवं मुंगेर जिलों में एवं 2 बाल गृह पटना एवं बेगुसराय में संचालित किया जा रहा है ।</td></tr>
<tr><td>8</td><td>P 2235021020117
P 2235027890103</td><td>आंगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों के लिए पोशाक योजना</td><td>1639.76</td><td>8839.76</td><td>8895.70</td><td>राज्य योजना</td><td>राज्य के बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत संचालित सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों (मिनी सहित) पर स्कूल-पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 3 से 6 वर्ष आयु के सभी बच्चों को 250/- रूपए वार्षिक लागत की दर पर पोशाक योजना आरंभ की गयी है ।</td></tr>
<tr><td>9</td><td>P 2235021020118
P 2235021020324
(नया शीर्ष)

P 2235027890102
P 2235027890312
(नया शीर्ष)</td><td>सबला</td><td>6375.00</td><td>10375.00</td><td>6375.00</td><td>राज्य योजना</td><td rowspan="2">राज्य के 12 जिलों यथाः पटना, बक्सर, गया, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, सहरसा, किशनगंज, कटिहार, बाँका एवं मुंगेर में किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए सबला कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है जिसके अंतर्गत किशोरी बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ-साथ पूरक पोषाहार प्रदान किया जाता है ।</td></tr>
<tr><td>10</td><td>C 2235021020618
P 2235021020224
(नया शीर्ष)</td><td>सबला</td><td>13418.80</td><td>13418.80</td><td>13429.00</td><td>केन्द्र प्रायोजित योजना</td></tr>
</table>

11	P 2236021010102 P 2236021010303 (नया शीर्ष) P 2236027890101 P 2236027890304 (नया शीर्ष) P 2236027960305 (नया शीर्ष)	पूरक पोषाहार	29537.00	91937.00	62151.82	राज्य योजना	वित्तीय वर्ष 2014-15 से राज्य के 38 जिलों में कुल स्वीकृत 91677 आंगनबाड़ी केन्द्रों (मिनी सहित) के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष तक के सभी सामान्य/ कुपोषित/ अतिकुपोषित बच्चों, गर्भवती/ धातृ महिलाओं एवं सामान्य आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 3 किशोरी बालिकाओं तथा मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र पर 2 किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार (खाद्य सुरक्षा अधिनियम सहित) प्रदान करने की योजना है ।
12	C 2236021010602 P 2236021010203 (नया शीर्ष)	पूरक पोषाहार	70888.89	70888.89	70276.12	केन्द्र प्रायोजित योजना	
		योग-	**134382.20**	**203117.22**	**168292.91**		

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान- विभागवार विवरणी
विभाग - श्रम संसाधन विभाग

(राशि लाख रूपए में)

क्रम सं०	विपत्र कोड	परियोजना	बजट 2013-14	संशोधित अनुमान 2013-14	बजट 2014-15	योजनावार व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (योजना की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	P2230011030103	बाल श्रमिक पुर्नवास तंत्र का सुदृढ़ीकरण	103.10	94.55	189.15	राज्य योजना	बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 की धारा-3 के अनुसार 18 व्यवसायों एवं 65 प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम उम्र के बाल श्रमिको का नियोजन प्रतिबंधित है । बाल श्रम उन्मूलन हेतु पूरे राज्य में धावा दल के माध्यम से सघन अभियान चलाकर बाल श्रमिकों की विमुक्ति जारी है । विमुक्ति के समय प्रत्येक बाल श्रमिक को एक माह का राशन हेतु 1500 रूपये एवं वस्त्र हेतु 300 रूपये का भुगतान किया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 2013-14 में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण कोष में 873 विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए 5000 रूपये प्रति बाल श्रमिक की दर से कुल 43.65 लाख रूपये जमा किया गया है । वित्तीय वर्ष 2014-15 में 1000 बाल श्रमिकों हेतु 5000 रूपये प्रति विमुक्त बाल श्रमिक की दर से कुल 50 लाख रूपये जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित बाल श्रमिक पुर्नवास-सह-कल्याण कोष में जमा करने का लक्ष्य है ।
		योग-	**103.10**	**94.55**	**189.15**		

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान- विभागवार विवरणी
विभाग - अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग

(राशि लाख रूपए में)

क्रम सं०	विपत्र कोड	परियोजना	बजट 2013-14	संशोधित अनुमान 2013-14	बजट 2014-15	योजनावार व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (योजना की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	P 2225011970101 P 2225011980101 P 2225012770107 P 2225021970101 P 2225021980101 P 2225022770101 C 2225012770617	विद्यालय छात्रवृत्ति	42196.00	42196.00	44188.00	राज्य योजना/ केन्द्रीय प्रायोजित योजना	लगभग 37 लाख वर्ग 1 से 10 तक के बच्चों को छात्रवृत्ति विभिन्न दरों पर प्रदान की जाती है । मुशहर/ भुईयॉ के वर्ग 1 से 6 तक के बच्चों को उच्चतर दर पर छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है ।
2	P 2225011980101 P 2225012770101 N 2225011980001 N 2225011970002 N 2225012770007	मुशहर छात्रवृत्ति	1914.00	1914.00	1965.00	राज्य योजना/ गैर योजना	
3	C 2225012770606 N 2225011970001 N 2225012770007	अस्वच्छ छात्रवृत्ति	135.00	135.00	35.00	केन्द्र प्रायोजित योजना/ गैर योजना	वर्ग 1 से 10 तक के लगभग 15 हजार बच्चों को छात्रवृत्ति ।
4	P 2225012770107 P 2225022770101	प्रावैधिकी छात्रवृत्ति	102.00	102.00	102.00	राज्य योजना	वर्ग 1 से 10 तक के लगभग 2 हजार बच्चों को छात्रवृत्ति ।
5	N 2225012770003 N 2225022770004	आवासीय विद्यालय	8356.25	8356.25	11141.13	गैर योजना	80 आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है ।
6	N 2225012770002 N 2225022770003	छात्रावास संधारण	753.84	753.84	1198.64	गैर योजना	138 छात्रावासों में आवासन की सुविधा ।
7	N 2225012770011 N 2225022770001	परीक्षाशुल्क प्रतिपूर्ति	85.00	85.00	85.00	गैर योजना	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना परीक्षा शुल्क से छूट के फलस्वरूप हुई क्षति की राशि का भुगतान किया जाता है ।
8	C 2225012770609	मेरिट उन्नयन योजना	25.00	25.00	0.00	केन्द्रीय प्रायोजित योजना	9 वीं एवं 12 वीं छात्र/ छात्राओं के लिए कोचिंग की व्यवस्था ।

9	P 2225012770107 P 2225022770101	मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना	2050.00	2050.00	2250.00	राज्य योजना	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मैट्रीक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण लगभग 22 हजार छात्र/ छात्राओं को 10000/- रूपया मेधावृत्ति उपलब्ध कराना ।
		योग-	**55617.09**	**55617.09**	**60964.77**		

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान- विभागवार विवरणी

विभाग - स्वास्थ्य विभाग

(राशि लाख रूपए में)

क्रम सं०	विपत्र कोड	परियोजना	बजट 2013-14	संशोधित अनुमान 2013-14	बजट 2014-15	योजनावार व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (योजना की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1		एन०आर०एच० एम० के अंतर्गत व्यय	798.27	798.27	800.00	योजना	नई पीढ़ि स्वास्थ्य गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 0-18 वर्ष तक के सभी किशार- किशारियों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान किया जाता है । इसके तहत राज्य के सभी बच्चों जो आंगनबाड़ी केन्द्रों से संबंधित हों, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हों अथवा स्कूली शिक्षा से विमुक्त हों, को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना सुनिश्चित किया गया है । वित्तीय वर्ष 2013-14 के अंतर्गत कुल 35271 स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया गया जिसके तहत कुल 4846738 बच्चों का स्वास्थ्य जांच, 418741 बच्चों को चिकित्सीय जांच, लैब टेस्ट तथा हीमोग्लोबीन प्रतिशत, ए०बी०ओ० ग्रुपिंग, आर०एच० ग्रुपिंग, बलगम की जाँच या मूत्र संबंधी जाँच की सुविधा प्रदान की गयी तथा कुल 45880 को रेफरल की सुविधा दी गयी । वि्त्तीय वर्ष 2013-14 के अंतर्गत डी०एफ०आई०डी० मद से 79827000 राशि का आवंटन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के अंतर्गत किया गया । एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में 80000000 रूपए उपलब्ध करायी गयी है ।
		योग-	**798.27**	**798.27**	**800.00**		

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान- विभागवार विवरणी

विभाग - अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

(राशि लाख रूपए में)

क्रम सं०	विपत्र कोड	परियोजना	बजट 2013-14	संशोधित अनुमान 2013-14	बजट 2014-15	योजनावार व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (योजना की संक्षिप्त जानकारी)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	P 2202021070210	अल्पसंख्यकों का बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (प्री-मैट्रिक)	8800.00	7613.35	1100.00	केन्द्र प्रायोजित योजना	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं के कल्याण हेतु इस योजना का कार्यान्वयन वर्ष 2008-09 से प्रारंभ किया गया है ।
		योग-	**8800.00**	**7613.35**	**1100.00**		